न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12 / 52 / 2025 रजि० नं0 2025 / 195 प्रवेश तिथि 28.03.2025

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
आनन्द सिंह एडवोकेट, 342 स्कीम न0 8, गांधी नगर अलवर (राजस्थान)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 09.04.2025

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2024 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दू संख्या 1 लगायत 3 तक की सूचना चाही गई। (1) ग्राम चौपानकी के आराजी खसरा न0 401, 407, 411 की भूमि अवाप्ति से समंबंधित पेमेन्ट शीट, (2) खसरा न0 401, 407, 411 ग्राम चौपानकी कोनसे सन में अवाप्त किया गया, (3) खसरा न0 401, 407, 411 ग्राम चौपानकी का भुगतान किसे किया गया, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमांक 342 दिनांक 27.03.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 01.04.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित हुआ।

4–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने जर्ये पत्राक 3165 दिनाक 27.03.2025 के द्वारा जवाब पेश करते हुऐ प्रेषित जवाब की एक प्रति अपीलार्थी को भी भिजवायी गयी है, प्रेषित जवाब में उल्लेखित किया गया है, कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रथम आवेदन पत्र में अवाप्ति परियोजना, संबंधित विभाग, अवार्ड का विवरण अंकित नही किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जबकि इसी सद्रर्भ में राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड इकाई–द्वितीय रीको रेस्ट हाउस रोड रीको चौक भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा के पत्राक 4339 दिनाक 05.12.2024 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को पत्र जारी कर प्रकरण में वर्णित खसरा न0 की पेमेंट शीट चॉही गयी है, प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र में वर्णित सूचनाऐ उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा संधारित रिकार्ड का अवलोकन नही किया गया है, न ही संधारित रिकार्ड का आवेदनकर्ता को अवलोकन कराया गया है, प्रत्यर्थी द्वारा विधिक प्रावधानो की पालना नही की गयी है।

5–पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा प्रेषित जवाब संन्तोषप्रद नही है। अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

6–अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। प्रत्यर्थी को निदेर्शित किया जाता है, कि संधारित रिकार्ड का पुनः अवलोकन कर अपीलार्थी को भी अवलोकन करावे, तदानुसार कार्यवाही कर अपीलार्थी को 15 दिवस में अपेक्षित रिकार्ड की नकल नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

7–आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

खैरथल–तिजारा